

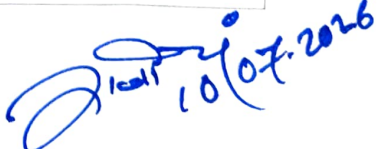
**बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग**

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक-10.07.2026

सं०सं०-14/पद०-704/2025-12418 /सा०प्र०, बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को धारित पद से स्थानान्तरित करते हुए/सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती), कोटि क्रमांक, गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	संजय कुमार, 173/26, मुजफ्फरपुर	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, वैशाली।	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, शिवहर।
2.	कुमारी अनुपम सिंह, 372/26, रोहतास	विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना।	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद।
3.	राकेश कुमार, 446/26, खगड़िया	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा।	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, शेखपुरा।
4.	आदित्य कुमार पियूष, 499/26, सारण	अपर समाहर्ता (लो०शि०नि)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गयाजी।	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद।
5.	इन्द्रवीर कुमार, 428/26, मधुबनी	विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सुपौल।


10/07/2026

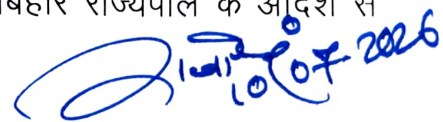
6.	अरुण प्रकाश, 361/26, पटना	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प0 चम्पारण, बेतिया।	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भोजपुर।
7.	अभिषेक आनन्द, 588/26, प0 चम्पारण	परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय पटना।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा।
8.	सोनी कुमारी, 777/26, कटिहार	अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया सदर, अररिया।	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया।
9.	कुमार गौरव, 643/26, बेगूसराय	अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर।	अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा सदर।
10.	शाहिद परवेज, 50/26, समस्तीपुर	विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
11.	आनन्द उत्सव, 729/26, भागलपुर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास, मधुबनी।	अनुमण्डल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी।

2. अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित होने वाले पदाधिकारी को संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

3. उपर्युक्त पदस्थापन/स्थानान्तरण से आच्छादित पदाधिकारी जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे।

4. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी पारगमण काल का उपभोग किये बिना अपने नव पदस्थापन वाले पद पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14 / पद0-704 / 2025-12418

पटना-15, दिनांक-10.07.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।